(57)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2251–दो/2001 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के अपील प्रकरण कमांक 355/2000–01.

भैरव प्रसाद तनय श्री कृष्णानन्नद
निवासी बधैया तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

भोला प्रसाद तनय श्री कृष्णानन्द
निवासी ग्राम माजनखुर्द थाना बैढ़न
जिला रीवा म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक आवेदक
श्री ए0के0 अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 05/06/2017 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक भैरव प्रसाद ने ग्राम भलुहा मुत्र सगहन के भूमि कं 1/1 रकवा 2.28 एकड़, 4/1 रकवा 0.30, 9/1 रकवा 0.58, 11/1 रकवा 0.14, 12/1 रकवा 0.94 कुल किता 5 कुल रकवा 4.24 के नामांतरण का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत सगहन में जरिये पंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत में विवादित होने के कारण प्रकरण नायब तहसीलदार के न्यायालय में भेजा गया। नायब

तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 27/अ–6/99–2000 संस्थित किया तथा आदेश दिनांक 29–4–2000 को द्वारा वसीयत को संदिग्ध मानते हुये आवेदन निरस्त किया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 25–1–2001 के द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी हनुमना जिला रीवा के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 29–10–2001 के द्वारा अपील अमान्य की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

राजस्व मण्डल में दिनांक 19–8–2002 को आदेश पारित किया गया जिसमें तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर आवेदक की निगरानी स्वीकार की गई तथा विवादित भूमि रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर आवेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित करने के आदेश दिये गये। राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा मान0 उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया जिसमें प्रकरण कमांक डब्लू पी 7261/2002 में पारित आदेश दिनांक 16–7–03 के द्वारा राजस्व मण्डल का आदेश निरस्त कर पुनः दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। मान0 उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में प्रकरण में पुनः कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया गया।

3/ आवेदकगण अभिभाषक ने तर्क किया कि आवेदक के पक्ष में मृतक शोभनाथ द्वारा पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 10–9–99 को निष्पादित कराया था जिसके आधार पर उसके द्वारा नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु विचारण न्यायालय ने पंजीयकृत वसीयतनामा जो कि लोक दस्तावेज होने से उसे केवल लोक दस्तावेज से ही खण्डित किया जा सकता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कथित जी0एम0एच0 रीवा की सी0एम0ओ0 के फर्जी प्रमाण जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में न आकर प्राईवेट दस्तावेज की श्रेणी में आता है, ऐसे प्राइवेट दस्तोज को आधार मानकर पंजीकृत विक्रय

पत्र को फर्जी मानने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इसी विवाद से संबंधित एक अन्य प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिये गये स्थगन आदेश पर तनिक भी गौर नहीं किया जबकि मान0 राजस्व मण्डल द्वारा जिन तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश दिया गया है उस प्रकरण में भी यही तथ्य अर्न्तबलित है कि क्या वादग्रस्त आराजयातो में वसीयतकर्ता का हक व हित निहित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान न देकर कानूनी त्रुटि की है जिससे आलोच्य आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजीकृत वसीयतनामा को विचारण न्यायालय द्वारा जांच में संदग्धि एवं फर्जी मानते हुये आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया है, जिसे दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा सही माना है। यह भी तर्क किया कि विचाराधीन वसीयत दिनांक 10--9--99 को निष्पादित की जाना बताया है जबकि मृतक शोभनाथ दिनांक 10--9--99 के पूर्व से ही जी0एम0एच0 रीवा में इलाज हेतु भर्ती था इस तथ्य की पुष्टि सी0एम0ओ0 के प्रमाण पत्र से होती है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत को साक्ष्य से सिद्ध भी नहीं पाया गया है। इसी कारण विचारण न्यायालय द्वारा वसीयत को फर्जी मानते हुये आवेदक का आवेदन निरस्त करने में उचित कार्यवाही है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक भैरव प्रसाद ने ग्राम भलुहा मुत्र सगहन की प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 5 कुल रकवा 4.24 के नामांतरण का आवेदन पत्र ग्राम पंचायत सगहन में जरिये पंजीकृत वसीयनामा प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत में विवादित होने के कारण प्रकरण नायब तहसीलदार के न्यायालय में भेजा गया। नायब तहसीलदार ने अपने आदेश में यह पाते हुये कि विचाराधीन वसीयत दिनांक 10--9--99 को निष्पादित की जाना बताया है जबकि मृतक शोभनाथ दिनांक 10--9--99 के पूर्व से ही जी0एम0एच0 रीवा में

इलाज हेतु भर्ती था इस तथ्य की पुष्टि सी0एम0ओ0 के प्रमाण पत्र से होती है। चूंकि मृतक शोभनाथ वसीयत दिनांक के पूर्व से ही अस्पताल में भर्ती थे तब वह पंजीकृत वसीयत को कराने के लिए कब और किस तरह न्यायालय में गया इस अपने आप में ही संधिग्धता प्रकट करती है। विचारण न्यायालय द्वारा यह माना है कि विधि की मंशा के अनुरूप वसीयतकर्ता वसीयत संपादित करते समय मानसिक रूपे से स्वस्थ्य होना चाहिए। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर निष्कर्ष निकालते हुये वसीयत को संदिग्ध माना है। किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत वसीयत को सिद्ध करने पर नामांतरण किया जा सकता है। इस संबंध में 1990 आर एन 28 गिरधारीलाल विरूद्ध मानकलाल एवं अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है—

" भू—राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)— धारा 109 तथा 110—वसीयत के आधार पर नामांतरण का दावा—वसीयत साबित करना आज्ञापक है।"

इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयत को साक्ष्य से सिद्ध भी नहीं पाया गया है। जहां तक वसीयत के साक्षियों का प्रश्न है आवेदक द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य भी विरोधाभाषी पाये गये हैं इसी कारण विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक की वसीयत को संदिग्ध पाते हुये नामांतरण के आदेश नहीं देने में विधिसंगत कार्यवाही की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वसीयत संदेह से परे एवं साक्ष्यों से सिद्ध पाये जाने पर वसीयत के आधार पर नामांतरण किया जा सकता है। इस संबंध में 2005 आर एन 416 सुरेश कुमार गुप्ता विरूद्ध बाबूलाल गुप्ता तथा अन्य में इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक उद्धरण प्रतिपादित किया गया है—

"(4) विल—न्यायालय को देखना होता है कि क्या विल के पक्ष में प्रस्तुत साक्ष्य निष्पक्ष, समाधानप्रद तथा पर्याप्त है—क्या निष्पादक की मानसिक दशा अपनी विल चुनने के लिए पर्याप्त रूप से स्वस्थ थी — क्या निष्पादक ने विल विधि के अनुसार हस्ताक्षरित की— क्या विल का निष्पादन संदेहरहित है।"

विचारण न्यायालय के आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा स्थिर रखा गया है। तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। चूंकि इस न्यायालय का पूर्व में पारित आदेश मान0 उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है, इसलिए उक्त आदेश पर किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया जा रहा है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अतिरिक्त आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 03–5–2016 स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर